

रूपनगढ़ (अजमेर)

२१-१२-२३ परावली पैदा हुई वकील प्रार्थी अनुपस्थित।
बार-बार आवाज दिलवाई गई बार-बार
आवाज दिलवाने के बावजूद प्रार्थी व
वकील प्रार्थी में से कोई उपस्थित नहीं
अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र खारिज किया
जाता है। परावली फैसला सुमर होकर
नोम्बर से कम हो।

२१/१२/२३
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

